

25/6/25

वकील उमम पक्ष उपर) बकाया की तलबी हेतु दिनांक 2/7/25 को पेश हो।

2/7/25

जिस दिनांक को अदालत कार्यों में बकाया/राजकाय से बकाया का अन्वयण कारण फनावरी पूर्ववत कार्यावाही हेतु उनके समक्ष दिनांक 2/7/25 को पेश हो।



रीडर

न्यायालय सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर


9/7/25

वकील उमम पक्ष उपर) पूर्व आदेश की पाहना अनुसार नौरिस पेश करने हेतु रिहापत की रापी) पत्रावली दिनांक 15/7/25 को पेश हो।

सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर

15/7/25

वकील उमम पक्ष उपर) मूल वाद का निर्णय हो चुका है, अर्चना-पत्र आगे चलने का कोई आधार नहीं रह गया है। मूल वाद का निर्णय हो जाने से यह अर्चना-पत्र खारिज किया जाता है। पत्रावली के लक्ष्यमात के तलबी दफतर हो।


सहायक कलक्टर (मु.) अजमेर